]रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122025-268500
CG-DL-E-15122025-268500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5540] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947
No. 5540] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5728(अ).— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3212(अ), तारीख 14 जुलाई, 2025, जो भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 15 जुलाई, 2025, में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में जिसका माप 373.598 हेक्टर (लगभग) या 923.161 एकड़ (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि के किसी भाग में कोयला अभिप्राप्य है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 373.598 हेक्टर (लगभग) या 923.161 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों को अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ;

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्यांक सी-I(ई)/III/एफ़आर/0825/1031, तारीख 07 अगस्त, 2025 का निरिक्षण कलेक्टर, जिला नागपुर , महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर-2, लक्ष्मी नगर,

दिल्ली 110092 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001, महाराष्ट्र के कार्यालय में किया जा सकेगा।

टिप्पण 2: पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है: -

"8. अर्जन की बाबत् आक्षेप - (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के अर्थान्तगत यह आक्षेप नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम अधिकारी, आक्षेपकर्ता को स्वयं या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपो को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे आवश्यक समझे, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकडों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपो पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में किसी हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते है ।"

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5th फ्लोर, कोर II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 जो भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

अमलगमेटेड गोंडेगाव – घाटरोहना एक्सपांशन ओपन कास्ट माईन

नागपुर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक संख्या: संख्या सी-I(ई)/III/एफआर/0825/1031, तारीख 07 अगस्त, 2025)

भाग - 1

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	तहसील	ज़िला	भूमि का वर्णन					टिप्पणी
				काश्तकारी	सरकारी	महाजेनको	वन	कुल (हेक्टर मे)	
1	घाटरोहना	पारशिवनी	नागपुर	232.371	10.592	0	0	242.963	भाग
उप-जोड़				232.371	10.592	0	0	242.963	

भाग - 1

ग्राम घाटरोहना में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक:

कास्तकारी जमीन:

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1,32/2,32/3,32/4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43अ, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 70, 72, 73,73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 101, 102/1, 122/2, 123 (123/1,123/2,123/3), 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135 (135/1/1, 135/1/2, 135/1/4, 135/1/5, 135/1/6, 135/1/7, 135/1/8), 204.

सरकारी जमीन: 43/B, 44/2B, 44/3B, 44/4B, 44/5B, 72/1B, 73/1A2, 74/1B, 82/2, 51, 94, 97, 98, 56, घाटरोहना गावठाण, सड़क, नाला

भाग – 2

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	तहसील	ज़िला	भुमि का वर्णन					टिप्पणी
				काश्तकारी	सरकारी	महाजेनको	वन	कुल (हेक्टर मे)	
1	जुनी कामठी	पारशिवनी	नागपुर	104.670	9.931	0.82	0	115.421	भाग
2	गोंडेगाव	पारशिवनी	नागपुर	15.030	0.184	0	0	15.214	भाग
उप-जोड़				119.700	10.115	0.820	0	130.635	

भाग – 2

ग्राम जुनी कामठी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक:

कास्तकारी जमीन:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46(भाग), 64, 65, 66, 67, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203(भाग), 210, 211, 268, 269, 270, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 313, 320, 321, 323, 326, 327, 338.

सरकारी जमीन: 12/2, 14, 18/2, 22/2, 24/2, 27/2, 37/2, 40/2, 67/2, सड़क, नाला, नहर.

ग्राम गोंडेगाव में अर्जित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक:

कास्तकारी जमीन: 211, 212, 213, 329, 238.

सरकारी जमीन: सड़क, नाला

भाग 1 व भाग 2 की कुल भूमि अधिग्रहण का विश्लेषण

भाग	क्रम सं.	ग्राम का नाम	तहसील	ज़िला	भुमि का वर्णन					टिप्पणी
					काश्तकारी	सरकारी	महाजेनको	वन	कुल (हेक्टर मे)	
भाग 1	1	घाटरोहना	पारशिवनी	नागपुर	232.371	10.592	0	0	242.963	भाग
	उप-जोड़				232.371	10.592	0	0	242.963	
भाग 2	1	जुनी कामठी	पारशिवनी	नागपुर	104.670	9.931	0.82	0	115.421	भाग
	2	गोंडेगाव	पारशिवनी	नागपुर	15.030	0.184	0	0	15.214	भाग
	उप-जोड़				119.700	10.115	0.820	0	130.635	
कुल जोड़					352.071	20.707	0.82	0	373.598	

कुल क्षेत्र: (भाग 1 व भाग 2 का जोड़): 373.598 हेक्टर (लगभग) तथा 923.161 ऐकर (लगभग)

सीमा वर्णन:

भाग – 1

क-खः घाटरोहणा ग्राम के बिंदु क्रमांक "क" से प्रारंभा होते हुए उत्तर दिशा की ओर पेंच नदी से लगकर गुजरते हुए बिंदु क्रमांक 'ख" से मिलती है।

ख-गः रेखा बिंदु क्रमांक "ख" से प्रारंभा होते हुए पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "ग" से मिलती है ।

ग-घः रेखा बिंदु क्रमांक "ग" से प्रारंभा होकर दक्षिन-पूर्व दिशा की ओर रेखा बिंदु क्रमांक "घ" से मिलती है ।

घ-ङः रेखा बिंदु क्रमांक "घ" से प्रारंभा होकर ग्राम घाटरोहणा और वराडा की सम्मिलित सीमा रेखा से होते दक्षिण दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "ड" से मिलती है।

ड-चः रेखा बिंदु क्रमांक "ड" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर घाटरोहणा ग्राम की पूर्व अधिव्ग्रहित भूमी की सीमा रेखा से होते हुऐ बिंदु क्रमांक "च" से मिलती है।

च-छः रेखा बिंदु क्रमांक "च" से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर घाटरोहणा ग्राम की पूर्व अधिव्ग्रहित भुमि की सीमा रेखा से होते हुऐ बिंदु क्रमांक "छ" से मिलती है।

छ-जः रेखा बिंदु क्रमांक "छ" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर घाटरोहणा ग्राम की पूर्व अधिव्ग्रहित भूमी की बाहरी सीमा रेखा से होते हुऐ बिंदु क्रमांक "ज" से मिलती है ।

ज-झः रेखा बिंदु क्रमांक "ज" से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर घाटरोहणा ग्राम की पूर्व अधिव्ग्रहीत भुमी की बाहरी सीमा रेखा से होते हुऐ बिंदू क्रमांक "झ" से मिलती है ।

झ-त्रः रेखा बिंदु क्रमांक "झ" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की बिंदू क्रमांक "त्र" से मिलती है ।

त्र-टः रेखा बिंदु क्रमांक "त्र" से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा की ओर घाटरोहणा ग्राम की पूर्व अधिव्ग्रहीत भुमी की बाहरी सीमा रेखा से होते हुऐ बिंदु क्रमांक "ट" से मिलती है।

ट-ठः रेखा बिंदु क्रमांक "ट" से प्रारंभ होकर दक्षिण- पश्चिम दिशा की ओर बिंदू क्रमांक "ठ" से मिलती है।

ठ-कः रेखा बिंदु क्रमांक "ठ" से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर पेंच नदी के छोर पर बिंदू क्रमांक "क" से मिलती है।

भाग - 2

ड-ढः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "ड" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर कन्हान नदी के छोर से लगकर गुजरते हुऐ बिंदू क्रमांक "ढ" से मिलती है।

ढ-णः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "ढ" से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर कन्हान नदी के छोर से लगकर गुजरते हुऐ बिंदु क्रमांक "ण" से मिलती है।

ण-तः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "ण" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "त" से मिलती है।

त-थः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "त" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "थ" से मिलती है।

थ-दः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक “थ" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "द" से मिलती है।

द-धः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "द" से प्रारंभ होकर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "ध" से मिलती है ।

ध-नः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "ध" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "न" से मिलती है।

न-पः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "न" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "प" से मिलती है।

प-फः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "प" से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "फ" से मिलती है।

फ-बः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "क" से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "ब" से मिलती है।

ब-भः गोंडेगाव व जुनीकामठी ग्राम के सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु क्रमांक "ब" से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "भ" से मिलती है।

भ-मः गोंडेगाव ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "भ" से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा कि ओर ग्राम सड़क से लगकर बिंदु क्रमांक “म" से मिलती है।

म-यः गोंडेगाव ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "म" से प्रारंभ होकर उत्तर- पूर्व दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "य" से मिलती है ।

य-रः गोंडेगाव ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "य" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "र" से मिलती है।

र-लः गोंडेगाव ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "र" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा कि ओर बिंदु क्रमांक "ल" से मिलती है।

ल-वः गोंडेगाव ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "ल" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा कि ओर बिंदु क्रमांक "व" से मिलती है।

व-सः गोंडेगाव ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "व" से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा की ओर बिंदु क्रमांक , "स" से मिलती है।

स-षः गोंडेगाव ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "स" से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर ग्राम गोंडेगाव और जनिकामठी की सम्मिलित सीमा रेखा से होते हुऐ ग्राम जनिकामठी के बिंदु क्रमांक "ष" पर मिलती है।

ष-शः जुनीकामठी ग्राम के दिशा के रेखा बिंदु क्रमांक "ष" से प्रारंभ होकर उत्तर दिशा कि ओर बिंदु क्रमांक "श" से मिलती है।

श-हः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "स" से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर बिंदु क्रमांक “ह” से मिलती है।

ह-क्षः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "ह" से प्रारंभ होकर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "क्ष" से मिलती है।

क्ष-डः जुनीकामठी ग्राम के रेखा बिंदु क्रमांक "क्ष" से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर बिंदु क्रमांक "ड" से मिलती है।

[फा. संख्या 43015/7/2025–एलएआईआर]

डॉ. माणिक चंद्र पंडित, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December,2025

S.O. 5728(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S. O. 3212(E), dated the 14th July, 2025 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th July, 2025, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 373.598 hectares (approximately) or 923.161 acres (approximately) of the land in the locality specified in the Schedule annexed to the said notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 373.598 hectares (approximately) or 923.161 acres (approximately) and all rights in or over the said land described in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-I(E)/III/FR/0825/1031, dated the 7th August, 2025 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Nagpur (Maharashtra) or at the office of the Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th floor, Core-2, Laxmi Nagar, Delhi 110092 or at the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur, 440001 Maharashtra.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows: -

"8. Objections to acquisition. - (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note 3: The Coal Controller, Coal Controller's Organization, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th Floor, Core 2, Laxmi Nagar, Delhi 110092, has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S. O. 2519 dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) in the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Amalgamated Gondegaon -Ghatrohana Expansion Open Cast Mine

Nagpur Area,

District Nagpur (Maharashtra)

[Plan bearing number: C-I(E)/III/FR/0825/1031, dated the 7th August, 2025]

Part-I

All Rights:

Sr. No.	Name of Village	Tahsil	District	Description of land					Remarks
				Tenancy	Government	MAHAGENCO	Forest	Total (in hectares)	
1	Ghatrohana	Parseoni	Nagpur	232.371	10.592	0	0	242.963	Part
Total				232.371	10.592	0	0	242.963	

Part-I

1. Plot number within notification boundary in village Ghatrohana:

Tenancy Land:

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1,32/2,32/3,32/4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43A, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 70, 72, 73,73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 99, 100, 101, 102/1, 122/2, 123 (123/1,123/2,123/3), 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 135 (135/1/1, 135/1/2, 135/1/4, 135/1/5, 135/1/6, 135/1/7, 135/1/8) , 204.

Government Land: 43/B, 44/2B, 44/3B, 44/4B, 44/5B, 72/1B, 73/1A2, 74/1B, 82/2, 51, 94, 97, 98, 56, Ghatrohana village Gaothan (Abadi) land, Road, Nalla.

Part-II

All Rights:

Sr. No.	Name of Village	Tahsil	District	Description of Land					Remarks
				Tenancy	Government	MAHAGENCO	Forest	Total (in hectars)	
1	Juni Kamptee	Parseoni	Nagpur	104.670	9.931	0.820	0	115.421	Part
2	Gondegaon	Parseoni	Nagpur	15.030	0.184	0	0	15.214	Part
Total				119.700	10.115	0.820	0	130.635	

Part-II

1. Plot number within notification boundary in village Juni Kmaptee:

Tenancy Land:

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46(P), 64, 65, 66, 67, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203(P), 210, 211, 268, 269, 270, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 313, 320, 321, 323, 326, 327, 338.

Government Land: 12/2, 14, 18/2, 22/2, 24/2, 27/2, 37/2, 40/2, 67/2, Road, Nalla, Canal.

2. Plot number within notification boundary in village Gondegaon:

Tenancy Land: 211, 212, 213, 329, 238.

Government Land: Road, Nallah.

Total Quantum of Land for Part - I & Part - II

Part	Sr. No.	Name of Village	Tahsil	District	Description of land					Remarks
					Tenancy	Government	MAHAGENCO	Forest	Total (in hectares)	
I	1	Ghatrohana	Parseoni	Nagpur	232.371	10.592	0	0	242.963	Part
	Sub-total				232.371	10.592	0	0	242.963	
II	1	Juni Kamptee	Parseoni	Nagpur	104.670	9.931	0.820	0	115.421	Part
	2	Gondegaon	Parseoni	Nagpur	15.030	0.184	0	0	15.214	Part
	Sub-total				119.700	10.115	0.820	0	130.635	
Grand total					352.071	20.707	0.820	0	373.598	

Total area (Part I + Part II): 373.598 hectares (approximately) or 923.161 acres (approximately)

Boundary Description:

PART-I

A-B: Line starts from point "A" at Ghatrohana Village passes towards North direction along with Pench River and Meets at point "B".

B-C: Line starts from point "B" passes towards east direction and meets at point "C".

C-D: Line starts from point "C" passes towards the South-East direction and meets at point "D".

D-E: Line starts from point "D" at the common village boundary of Ghatrohana and Warada passes towards South direction and, meets at point "E".

E-F: Line starts from point "E" passes towards North-West direction along with the outer boundary of already acquired land of Ghatrohana village and, meets point "F".

F-G: Line starts from point "F" passes towards West direction along with the outer boundary of already acquired land of Ghatrohana village and meets at point "G".

G-H: - Line starts from point "G" at passes North-West direction along with the outer boundary of already acquired land of Ghatrohana village and meets at point "H".

H-I: Line starts from point "H" passes towards West direction along with the outer boundary of already acquired land of Ghatrohana village and, meets at point "I".

I-J: Line starts from point "I" passes towards South-East direction and meets at point "J".

J-K: Line starts from point "J" passes towards South direction along with outer boundary of already acquired land of Ghatrohana village, and meets at point "K".

K-L: Line starts from point "K" passes towards South-West direction at meets at the point "L".

L-A: Line starts from point "L" passes towards West direction, and meets at point "A" at Pench River Bank.

PART-II

M-N: Line starts from point "M" of Junikamptee village Passes towards the South-West direction along with the bank of Kanhan River, and meets at point "N".

N-O: Line starts from point "N" of Junikamptee village which Passes towards the East Direction and, meets point "O".

O-P: Line starts from point "O" of Junikamptee village, passes towards the South-East direction and meets at point "P".

P-Q: Line starts from point "P" of Junikamptee Village passes towards South-East direction, and meets at point "Q".

Q-R: Line starts from point "Q" of Junikamptee village passes towards South-East direction, and meets at point "R".

R-S: Line starts from point "R" of Junikamptee village passes towards North-East direction, and meets at point "S".

S-T: Line starts from point "S" of Junikamptee Village passes towards South-East direction, and meets at point "T".

T-U: Line starts from point "T" at Junikamptee village passes towards South-East direction and meets at point "U".

U-V: Line starts from point "U" at Junikamptee village passes towards east direction and meets at point "V".

V-W: Line starts from point "V" at Junikamptee village passes towards East direction and at point "W".

W-X: Line starts from point "W" at common boundary of village Junikamptee and Gondegaon passes towards south-east direction and, meets at point "X".

X-Y: Line starts from point "X" at Gondegaon village passes towards East direction along road and meets at point "Y".

Y-Z: Line starts from point "Y" at Gondegaon village passes towards North-East direction and meets at point "Z".

Z-Z1: Line starts from point "Z" at Gondegaon village passes towards North-West direction and meets at point "Z1".

Z1-Z2: Line starts from point "Z1" at Gondegaon village passes towards North-West direction, and meets at point "Z2".

Z2-Z3: Line starts from point "Z2"at Gondegaon village passes towards North-West direction, and meets at point "Z3".

Z3-Z4: Line starts from point "Z3" at Gondegaon village passes towards South direction, and meets at point "Z4".

Z4-Z5: Line starts from point "Z4" at Gondegaon village and passes towards West direction along with boundary of Junikamptee village and, meets at point "Z5".

Z5-Z6: Line starts from point "Z5" at Junikamptee village passes towards North direction, and meets at point "Z6".

Z6-Z7: Line starts from point "Z6" at Junikamptee village passes towards west direction, and meets at point "Z7".

Z7-Z8: Line starts from point "Z7" at Junikamptee village passes towards North-West direction and meets at point "Z8".

Z8-M: Line starts from point "Z8"at Junikamptee village passes towards West direction, and meets at point "M".

[F. No. 43015/7/2025-LAIR]

Dr. MANIK CHANDRA PANDIT, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.15 16:00:22 +05'30'